न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 118/2018 **दायर दिनांकः 02/07/2018**

उनवान

1. देवकिशन आयु 42 वर्ष पुत्र श्री पूरणमल जाति ब्राहमण
2. रामकुवार आयु 38 वर्ष पुत्र श्री पूरणमल जाति ब्राहमण
3. गायत्री बाई आयु 46 वर्ष पुत्री श्री पूरणमल जाति ब्राहमण
4. मोत्याबाई आयु 72 वर्ष पत्नि स्व0 श्री पूरणमल जाति ब्राहमण निवासी सकतपुर तहसील व जिला बारां।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. छीतर पुत्र राधाकिशन जाति ब्राहमण निवासी ग्राम कूण्डी
3. रामप्रताप पुत्र लक्ष्मीनाराण जाति ब्राहमण निवासी ग्राम कूण्डी तहसील अटरू जिला बारां राज0

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90,91,92 राज0 टीनेन्सी एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री बृजराज सिंह हाडा

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाक : 08/04/2021

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है, कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90,91, 92 राज0 टीनेन्सी एक्ट एवं धारा 136 एल0आर0 एक्ट बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती का इस आशय का पेश किया है, कि वाके ग्राम कूण्डी तह० अटरू जिला बारां में आराजीयात खाता संख्या नया 141 पुराना 138 की खसरा सख्या 1235 रकबा 2.64 है0 स्थित है। उक्त आराजी ही वाद की विषयवस्तु है। जिसे आगे वाद पत्र में विवादित आराजी के नाम से सम्बोन्धित किया गया है। मद नं 1 में वर्णित आराजीयात राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता व पति एवं प्रतिवादी क्रम 2 ता 3 की संयुक्त खातेदारी में अंकित है। वादीगण के पिता व पति का नाम राजस्व रिकार्ड में सहवन बृजमोहन गलत अंकित कर दिया है। जबकि वादीगण के पिता व पति का नाम अन्य सरकारी रिकार्ड फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड व उनका मृत्यु प्रमाण पत्र में पूरणमल अंकित है। इस कारण

वादीगण को सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है। इस कारण वादीगण राजस्व रिकार्ड में अपने पिता व पति का नाम बृजमोहन गलत अंकित है , को दुरूस्त करवाकर पूरणमल दर्ज करवाने की घोषणा की करवा पाने का अधिकारी एवं नालिशी है। वादीगण के पिता व पति श्री पूरणमल जिनका नाम राजस्व रिकार्ड में बृजमोहन गलत अंकित है का स्वर्गवास दिनांक 15.07.2017 को हो चुका है तथा वादीगण ही उनके जायज वारिस एवं उत्तराधिकारी है। इस कारण वादीगण राजस्व रिकार्ड में अपने पिता नाम दुरूस्त करवाकर सही नाम पूरणमल दर्ज करवाकर विवादित आराजी को अपने नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज करवाने की घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 के अधिनस्थ कर्मचारियों एवं अधिकारियों से उक्त दुरूस्ती के लिये कई बार मौखिक एवं लिखित में निवेदन किये, लेकिन उन्होनें कोई ध्यान नही दिया गया। इस कारण यह वाद पेश करना पड रहा है। वाद कारण अंतिम बार दिनांक 14.05.2018 को प्रतिवादी क्रम 1 के अधिनस्थ कर्मचारियों /अधिकारियों द्वारा वादीगण के पिता व पति का नाम राजस्व रिकार्ड जो बृजमोहन गलत अंकित है, के स्थान पर दुरूस्त कर पूरणमल सही नाम अंकित करने से स्पष्ट इन्कार करने पर तहसील अटरू में पेदा हुआ। वाद पेश करने से पूर्व राज0 सरकार जरिये प्रतिनिधी जिला कलेक्टर बारां को नोटिस धारा 80 सी0पी0सी0 का अपने अधिवक्ता के माध्यक से प्रेषित करवा दिया है, जिसकी मियाद अभी समाप्त नही हुई है। वाद आवश्यक प्रकृति का है । क्योंकि वादीगण को विवादित आराजी के बाबत मिलने वाली सरकारी सुविधाएं प्राप्त नही हो रही है। इस कारण अविलम्ब न्यायालयी सहायता प्राप्त करना आवश्यक है। अस्तु धारा 80(2) सी0पी0सी0 के आवेदन के साथ वाद पेश है। प्रतिवादी क्रम 2 व 3 विवादित आराजियात के सहखातेदार है जिनको फोरमल पक्षकार बनाया गया है उनके विरूद्व की भी प्रकार घोषणा व निषेधाज्ञा नही चाही गयी है। वाद का मूल्यांकन विवादित आराजी के लगान का 50 गुना कायम किया जाकर उचित न्याय शुल्क पर वाद अवधि मध्य पेश है। विवादित आराजी वाके बारां तह0बारां में स्थित है इस कारण माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

प्रार्थना

अतः वादी प्रार्थी है कि बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी क्रम 1 इस आशय कि डिक्री पारित फरमायी जावे –

(क) मद नं0 1 वाद पत्र में वर्णित विवादित आराजी में जो वादीगण के पिता व पति का नाम बृजमोहन गलत दर्ज है, उसको दुरूस्त कर ''पूरणमल'' अंकित करने की घोषणा की जाकर राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता व पति का नाम पूरणमल दर्ज करवाया जाकर विवादित आराजियात में जो वादी के पिता व पति के स्थान पर उनके वारिसान उत्तराधिकारीगण वादीगण का नाम अंकित करने की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड में अंकित करवाया जावे।

(ख) वाद व्यय व अन्य न्यायोचित सहायता वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई, प्रतिवादी कम 1 व 3 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण एक तरफा कार्यवाही की गई, साक्ष्यवादी के तहत Pw 1 के बयान लेखबद्ध किये तथा रिकार्ड प्रदर्शित करवाया गया। और साक्ष्य वादी पेश नहीं करने के कारण साक्ष्यवादी बंद किये गये।

अभिभाषक वादीगण की एकतरफा बहस सूनी गई, अभिभाषक वादीगण द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहरया तथा कथन किया गया कि विवादित आराजी ग्राम कूण्डी की जमाबन्दी संवत् 2071–74 खाता संख्या 141 किता 1 रकबा 2.64 है0 शामलाती खाते में वादीगण के पिता व पति का नाम बृजमोहन गलत दर्ज है। जिसको प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार सही नाम पूरणमल राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश प्रदान करें। पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली प्रस्तुत दस्तावेज राशन कार्ड, ग्राम पंचायत सकतपुर का वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 27.02.2018 ,आधार कार्ड, में वादिगण के पिता व पति का नाम पूरणमल दर्ज है। तथा ग्राम पंचायत सकतपुर का प्रमाण पत्र 19.03.2021 में पूरणमल एवं बृजमोहन पिता राधाकिशन दोनों नाम एक ही है। इनको दोनों नामों से पुकारा जाना बताया गया है। तथा इस नाम का कोई अन्य व्यक्ति सकतपुर में नहीं है। न्यायहित में वादिगण का वाद स्वीकार योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम कूण्डी की खाता संख्या 141 कुल किता 1 रकबा 2.64 है0 शामलाती खाते की आराजी में खातेदार बृजमोहन पुत्र राधाकिशन के स्थान पर बृजमोहन उर्फ पूरणमल पुत्र राधाकिशन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08/04/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 118/2018

उनवान

1. देवकिशन आयु 42 वर्ष पुत्र श्री पूरणमल जाति ब्राहमण
2. रामकुवार आयु 38 वर्ष पुत्र श्री पूरणमल जाति ब्राहमण
3. गायत्री बाई आयु 46 वर्ष पुत्री श्री पूरणमल जाति ब्राहमण
4. मोत्याबाई आयु 72 वर्ष पत्नि स्व0 श्री पूरणमल जाति ब्राहमण निवासी सकतपुर तहसील व जिला बारां।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. छीतर पुत्र राधाकिशन जाति ब्राहमण निवासी ग्राम कूण्डी
3. रामप्रताप पुत्र लक्ष्मीनाराण जाति ब्राहमण निवासी ग्राम कूण्डी तहसील अटरू जिला बारां राज0

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90,91,92 राज0 टीनेन्सी एक्ट एवं
धारा 136 एल.आर.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....г................ रूबरू..............г.............................

बहाजिर :–

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री बृजराज सिंह हाडा

प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम कूण्डी की खाता संख्या 141 कुल किता 1 रकबा 2.64 है0 शामलाती खाते की आराजी में खातेदार बृजमोहन पुत्र राधाकिशन के स्थान पर बृजमोहन उर्फ पूरणमल पुत्र राधाकिशन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X..................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X.................................. .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 08/04/2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)